न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डौन जिला करौली

मुकदमा नं0 60/2013

तारीख रजू:—19.06.2013

पीठासीन अधिकारी :— हेमराज गुर्जर

R.A.S.

1. हरीचरण उम्र 63 साल | पिसरान रेतीराम जाति माली निवासी रेलीकापुरा
2. रामचरण उम्र 48 साल | बीएड कॉलेज के पास हिण्डौनसिटी जिला करौली।
3. रामेश्वर उम्र 45 साल | पिसरान शिवचरण
4. सेवाराम उम्र 42 साल | जाति माली निवासी रैलीकापुरा
5. देवगनी उम्र 32 साल | बीएड कॉलेज के पास
6. कन्हैया उम्र 26 साल | हिण्डौनसिटी
7. श्याम उम्र 22 साल | जिला करौली।
8. सोमोती उम्र 65 साल बेबा शिवचरण जाति माली निवासी हिण्डौन
9. साबो उम्र 35 साल पुत्री शिवचरण पत्नि श्री बच्चूसिंह जाति माली निवासी भुसावर जिला भरतपुर (राज०)।
10. पिरका पुत्री शिवचरण आयु 19 साल पत्नि भोलाराम जाति माली निवासी सेमलीकावास जिला भरतपुर (राज०)।
11. शंकर उम्र 50 साल पुत्र श्री रेलीराम जाति माली निवासी रेलीकापुरा बीएड कॉलेज के पास हिण्डौनसिटी जिला करौली (राज०)। —(मृतक)

11/1. गिरधारी उम्र 55 साल | पिसरान शंकर जाति माली
11/2. रामप्रसाद उम्र 40 साल | निवासी रैलीकापुरा
11/3. ननुआ उम्र 40 साल | बीएड कॉलेज के पास
11/4. रजुआ आयु 36 साल | हिण्डौन सिटी
11/5. मु० विस्सो उम्र 50 साल | जिला करौली।
11/6. मु० विमला उम्र 45 साल
11/7. राजो उम्र 32 साल
11/8. मु० सूकी उम्र 75 साल —सायलान

बनाम

1. गजानंद आयु 55 साल | पिसरान रामजीलाल जाति माली निवासी
2. रामचरण आयु 50 साल | गोमती कोलोनी कस्बा हिण्डौनसिटी

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

3. मुरदल उम्र 45 साल पुत्री रामजीलाल पत्नि कैलाशी जाति माली निवासी कृष्णा कॉलोनी भरतपुर, जिला भरतपुर (राज०) ।

4. पुष्पा उम्र 40 वर्ष पुत्री श्री रामजीलाल पत्नि दयाचंद जाति माली निवासी कृष्णा कॉलोनी भरतपुर जिला भरतपुर (राज०)।

5. श्रीमती संतो उम्र 35 साल पुत्री रामजीलाल पत्नि जगदीश जाति माली, निवासी अटलबंध भरतपुर जिला भरतपुर (राज०)।

6. भवानी उम्र 70 साल पुत्र चिरंजी जाति माली निवासी गोमती कॉलोनी कस्बा हिण्डौनसिटी जिला करौली।
—(मृतक)

6/1. सुरेश	पिसरान भवानी जाति माली
6/2. राजेन्द्र	निवासी गोमती कॉलोनी
6/3. महेश	कस्बा हिण्डौनसिटी
6/4. विजयसिंह	जिला करौली
6/5. अशोक	राजस्थान।
6/6. विजेन्द्र	

7. भगवानसिंह उम्र 65 साल पुत्र चिरंजी कोलोनी कस्बा हिण्डौनसिटी

8. परभाती उम्र 50 साल पुत्र चिरंजी जाति माली निवासी गोमती कोलोनी हिण्डौनसिटी, जिला करौली (राज०)।
—(मृतक)

8/1. पूरन	पिसरान परभाती जाति माली
8/2. मनमोहन	निवासी गोमती कॉलोनी
8/3. मु० मीना	हिण्डौनसिटी जिला करौली।

9. रामाधार उम्र 45 साल पुत्र चिरंजी

10. दुलारी उम्र 55 साल पुत्री चिंरजी पत्नि सोहनलाल, जाति माली निवासी खटीकपाडा भुसावर तहसील वैर जिला भरतपुर (राज०)।

11. भागवती पत्नि रमन पुत्री दुर्गा जाति माली निवासी खटीकपाडा नदबई तहसील नदबई जिला भरतपुर (राज०)।

12. कम्पूरी पुत्री दुर्गा पत्नि जगनस्थ जाति माली निवासी खटीकपाडा नदबई तहसील नदबई जिला भरतपुर ।

13. फुलवा पुत्री दुर्गी पत्नि बदन जाति माली निवासी पैरसल तहसील नदबई जिला भरतपुर

14. लक्ष्मी पुत्री दुर्गी पत्नि किशन जाति माली निवासी नदबई तहसील नदबई जिला भरतपुर

15. मंगती पुत्र दुर्गा जाति माली नि0 रेल्वे स्टेशन के पास फतेहपुर सीकरी जिला आगरा।

16. रामसिंह उम्र 45 साल पुत्र पंखी जाति माली निवासी गोमती कोलोनी हिण्डौन—(मृतक)

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

16/1. बच्चू उम्र 53 साल पुत्र रामसिंह जाति माली निवासी बीएड कॉलेज के पास हिण्डौन सिटी जिला करौली —मृतक

16/1/1. कमलेश	बेबा बच्चू	जाति माली निवासी बीएड कॉलेज
16/1/2. भूपेन्द्र	पिसरान	के पास हिण्डौनसिटी
16/1/3. जितेन्द्र	स्व0 बच्चू	जिला करौली।

16/1/3. शारदा पुत्री स्व० बच्चू पत्नि जितेन्द्र माली निवासी कंजोलीलाईन भरतपुर

16/1/4. रेखा पुत्री स्व० बच्चू पत्नि पवन माली निवासी कन्जोली लाईन भरतपुर (राज०)।

16/1/5. पिंकी पुत्री स्व० बच्चू पत्नि सेवाराम माली, जाति माली निवासी रामवास, तहसील नगर, जिला डीग (राज०)।

16/2. गोपाल उम्र 49 साल	पिसरान रामसिंह जाति माली
16/3. राजेश उम्र 45 साल	निवासी बीएड कॉलेज के पास
16/4. ओमी उम्र 40 साल	हिण्डौनसिटी
16/5. रणवीर उम्र 30 साल	जिला करौली।

16/6. मु० मुन्नी उम्र 48 साल पत्नि निर्भय पुत्री रामसिंह जाति माली निवासी बीएड कॉलेज के पास हिण्डौनसिटी जिला करौली।

16/7. मु० विधा उम्र 42 साल पत्नि पप्पू पुत्री रामसिंह जाति माली निवासी भीतरवाडी गोविन्दजी के मंदिर के पास बयाना, जिला भरतपुर।

16/8. मु० कमलेश उम्र 38 साल पत्नि बाबूलाल पुत्री रामसिंह जाति माली निवासी रेल्वे स्टेशन के पास मालियों का पुरा नंगला बयाना जिला भरतपुर।

16/9. मु० कुन्ती उम्र 32 साल पत्नि मंगल पुत्री रामसिंह जाति माली निवासी अनार गेट भरतपुर मालियों का मोहल्ला, जिला भरतपुर।

17. गोपालसिंह बैनीवाल उम्र 24 साल पुत्र श्री रामचन्द बैनीवाल जाति जाट निवासी जाट की सराय हिण्डौन वार्ड नं0 13 तहसील हिण्डौन जिला करौली।

18. सुरेशसिंह पुत्र श्री इन्द्रसिह बैनीवाल जाति जाट निवासी जाट की सराय हिण्डौनसिटी जिला करौली।

19. करणसिंह आयु 28 साल पुत्र श्री रामचन्द्र जाति जाट निवासी जाट की सराय हिण्डौनसिटी जिला करौली।

20. कुमेरसिंह पुत्र इन्दरसिंह आयु 22 साल जाति जाट निवासी जाट की सराय हिण्डौनसिटी जिला करौली।

21. विजयसिंह उम्र 39 साल पुत्र श्री इन्द्ररसिंह जाति जाट निवासी जाट की सराय हिण्डौनसिटी जिला करौली।

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

22. खेमचन्द उम्र 8 साल पुत्र श्री विजयसिंह जाति जाट निवासी जाट की सराय हिण्डौन जिला करौली ——————————————————————————————गैरसायलान

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 जा0दी0

उपस्थितः—1. श्री अशोक नीमनका एडवोकेट सायलान
2. श्री संजय कुमार शर्मा एडवोकेट गैरसायल सं011 ता 15,17 ता 22

निर्णय

दिनांक :— 26.09.2025

सायलान ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 सीपीसी विरूद्ध गैरसायलान पेश कर प्रार्थना पत्र के मद नं. 1 में दर्ज किया है कि उक्त प्रकरण में एक वाद बाबत इस्तकरारहक आदि इस सम्मानीय अदालत में प्रस्तुत कर दिया है। जिसमें प्रार्थीगण को सफलता मिलने की पूर्ण उम्मीद है।

प्रार्थना पत्र के मद नं. 2 में दर्ज किया है कि आराजी ख0नं0 1071 रकवा 53 ऐअर, खसरा नम्बर 1072 रकबा 25 ऐअर, ख0नं0 1073 रकवा 22 ऐअर, ख0नं0 1077 रकबा 21 ऐअर, ख0नं0 1078 रकवा 22 ऐअर, ख0नं0 1086 रकवा 22 ऐअर, ख0नं0 1100 रकवा 3 ऐअर, ख0नं0 1103 रकवा 30 ऐअर, ख0नं0 1104 रकवा गैरमुकिन ट्यूब बैल, ख0नं0 1119 रकबा 42 ऐअर, ख0नं0 1120 रकवा 27 ऐअर, ख0नं0 1123 रकवा 30 ऐअर, ख0नं0 1124 रकबा 30 ऐअर, ख0नं0 1125 रकवा 10 ऐअर, कुल किता 14 कुल रकबा 3. 58 हेक्टर सायलान की खातेदारी व कब्जे काश्त की जमीन जमाने पिता सायलान से चली आ रही है और आराजी ख0नं0 1065 रकवा 14 ऐअर, ख0नं0 1070 रकवा 53 ऐअर, ख0नं0 1074 रकबा 29 ऐअर, ख0नं0 1075 रकबा 28 ऐअर, ख0नं0 1079 रकवा 18 ऐअर, ख0नं0 1080 रकवा 17 ऐअर, ख0नं0 1087 रकबा 33 ऐअर, ख0नं0 1097 रकवा 17 ऐअर, ख0नं0 1098 रकबा 16 ऐअर, ख0नं0 1099 रकवा 11 ऐअर, ख0नं0 1105 रकवा 15 ऐअर, ख0नं0 1106 रकवा 34 ऐअर, ख0नं0 1114 रकबा 33 ऐअर, ख0नं0 1115 रकवा 40 ऐअर, ख0नं0 1116 रकवा 14 ऐअर, ख0नं0 1065/9885 रकवा 16 ऐअर, कस्बा हिंडौन में बी.एड. कॉलेज के पास कस्बा हिण्डौन में जमाने पिता सायलान से चली आ रही है।

प्रार्थना पत्र के मद नं. 3 में दर्ज किया है कि आराजीयात वादग्रस्त पिता सायलान की स्वअर्जित आराजीयात है। जिनके पुराने खसरा नम्बर 670 रकवा 2 बीघा 11 बिस्वा, 671 रकवा 2 बिस्वा, 672 रकवा 8 बिस्वा, 674 रकवा 1 बीघा 6 बिस्वा, 675 रकवा 1 बीघा 13 बिस्वा, 684 रकवा 3 बीघा 14 बिस्वा, 4614 रकबा 10 बिस्वा, 4898 रकवा 7

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

बिस्वा, 4899 रकवा 1 बीघा 6 बिस्वा, 4900 रकवा 1 बीघा 4 बिस्वा, 4901 रकवा 1 बीघा 10 बिस्वा, 4908 रकवा 1 बीघा 13 बिस्वा, 4912 रकबा 3 बीघा 10 बिस्वा, 4913 रकवा 19 बिस्वा, 4914 रकवा 7 बिस्वा, 4915 रकवा 4 बीघा 11 बिस्वा, 4917 रकवा 3 बीघा 8 बिस्वा, 4918 रकवा 5 बीघा 17 बिस्वा, 4919 रकवा 7 बिस्वा, गेरमुमकिन चाह, 4920 रकबा 2 बीघा 2 बिस्वा, 4921 रकवा 1 बीघा 11 बिस्वा, 4903 रकवा 4 बीघा 13 बिस्वा, 4904 रकबा 2 बीघा 19 बिस्वा 4905 रकवा 8 बिस्वा, कुल किता 24 कुल रकवा 49 बीघा 16 बिस्वा स्थित कस्बा हिण्डौन पिता सायलान श्री रेलीराम की खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजीयात से बने है।

प्रार्थना पत्र के मद नं. 4 में दर्ज किया है कि आराजीयात विवादग्रस्त वर्णित मद नं 2 प्रार्थना पत्र के बाबत पिता गैरसायलान द्वारा एक अनरजिस्ट्रर्ड निहायत फर्जी बनावटी व पोशीदा दस्तावेज बाबत बेचान बनाकर उसके आधार पर सरकारी कर्मचारियों से साज करके नामान्तकरण सं. 320 व 331 दिनांक– 05.07.1959 को निहायत पोशीदा तरीके से तकमील तस्दीक करवा लिये, जिसका पता सायलान को कभी नहीं चलने दिया। उस समय सायलान नं. 1 व 2 नाबालिग थे। बेचान का प्रश्न ही नहीं उठता। सायलान व गैरसायलान के पूर्व में आपसी संबंध अच्छे थे, इसलिये सायलान को गैरसायलान की फर्जकारी का इल्म ही नहीं हो पाया। दि. 13.05.1982 को सायलान की जमीन में एक नीम का पेड गिर जाने, पर उसकी लकड़ी उठाते समय गैरसायलान द्वारा किये गये विवाद पर यह मालूम हुआ, कि सायलान की आराजीयात की खातेदारी गैरसायलान ने फर्जी तौर पर अपने नाम करवा ली है। जिसकी अपील सायलान द्वारा उसी समय कर दी गयी और अपील माननीय राजस्व मण्डल अजमेर राजस्थान तक विचाराधीन रही और उन अपीलों का निर्णय मेरिटस पर नहीं होकर प्रिलिमिनरी स्टेज पर मियाद बाहर मानकर दिनांक 25.04. 1988 को फैसल फरमा दिया गया इसके बावजूद भी गैरसायलान सायलान के कब्जे काश्त में मजाहमत मदाखलत नही कर सके।

प्रार्थना पत्र के मद नं. 5 में दर्ज किया है कि विवादग्रस्त आराजीयात में कृषि विकासार्थ सायतान ने पुख्ता कमरे बना रखे है, चारा फूँस रखने बाबत पाटोरपोश तामीर कर रखे एवं खेतों पर सर्दी गर्मी से बचाव बाबत पुख्ता निर्माण सायलान ने कर रखा है। जिससे गैरसायलान का कभी कोई संबंध किसी प्रकार का नहीं है। उक्त निर्माणात का उपयोग–उपभोग भी सायलान 50सों साल से लगातार आज दिनांक तक करते चले आ रहे हैं।

प्रार्थना पत्र के मद नं. 6 में दर्ज किया है कि बाका दिनांक 05.06.2013 को गैरसायलान सं. 11 लगायत 15 एवं अन्य गैरसायलान एक राय होकर सायलान की

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

आराजीयात पर आऐ और कहने लगे कि अब हमारे पिता दुर्गी का स्वर्गवास हो चुका है और अब हमारे हिस्से की आराजीयात को हम डण्डे वाले लोगों को बेचान कर रहे हैं। जो डण्डे के बल पर तुमसे स्वयं की कब्जा ले लेंगे। सायलान ने गैरसायलान को समझाने का भरसक प्रयास किया मगर वे किसी की एक मानने को तैयार नहीं है। यदि गैरसायलान अपनी कुचेष्टा में कामयाब हो गये, तो सायलान को अपूर्तनीय क्षति होगी। जिसकी पूर्ति इन टर्मस ऑफ मनी किया जाना संभव नहीं हो सकेगी इसलिये प्रार्थना पत्र पेश करना आवश्यक हुआ है।

प्रार्थना पत्र के मद नं. 7 में दर्ज किया है कि अगर गैरसायलान अपने उक्त गैरकानूनी मंसूबे में कामयाब हो गये, तो सायलान को अपूर्तनीय क्षति होगी, जितकी क्षतिपूर्ति किसी भी प्रकार इन टर्मस ऑफ मनी होना संभव नहीं हो सकेगी। जबकि गैरसायलान को पाबंद फरमाने से उन्हें कोई क्षति किसी भी प्रकार की नहीं है।

प्रार्थना पत्र के मद नं. 8 में दर्ज किया है कि प्राईमाफेसी भी इस तरह सायलान बखूबी साबित है।

प्रार्थना पत्र के मद नं. 9 में दर्ज किया है कि सुविधा का सन्तुलन सायलान के पक्ष में है।

अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि गैरसायलान को जरिये आदेश अस्थायी निषेधाज्ञा इस प्रकार ताफैसला मुकदमा पाबंद फरमाया जावे कि गैरसायलान आराजी ख0नं0 1071, 1072, 1073, 1077, 1078, 1086, 1100, 1103, 1104, 1119, 1120, 1123, 1124, 1125 एवं ख0नं0 1065, 1070, 1074, 1075, 1079, 1080, 1087, 1097, 1098, 1099, 1105, 1106, 1114, 1115, 1116, 1065/9885 वाके कस्बा हिण्डौन तहसील हिण्डौन की रिकॉर्ड व मौके की स्थिति यथावत बनाये रखे तथा रहन वय नही करें।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर गैरसायलान को जरिये नोटिस तलब किया गया। दिनांक 26.08.2013 को गैरसायल सं0 1 ता 15, 17 ता 22 बावजूद तामील उपस्थित नहीं हुए इसलिए इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई तथा गैरसायल सं016 बाद तामील जरिये अधिवक्ता उपस्थित आये। गैरसायल सं0 11 ता 15, 17 ता 22 की ओर से जरिये अधिवक्ता उपस्थित होकर एक्सार्टी ऑर्डर सैटअसाईड प्रार्थना पत्र पेश किया गया जो दिनांक 30.04.2024 को स्वीकार किया गया। गैरसायल सं0 11 लगायत 22 की ओर से श्री संजय कुमार शर्मा एडवोकेट ने उपस्थित होकर जबाव प्रार्थना पत्र पेश कर जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं. 1 में दर्ज किया है कि सायलान ने गैरसायलान के विरुद्ध दावा इस्तकरारहक एवं कब्जा वापिसी कतई गलत दायर किया है। जिसमें सायलान कभी सफल

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

नहीं हो सकते हैं। सायलान ने दावे के साथ टी.आई का प्रार्थना पत्र भी पेश किया था जो अदालत श्रीमान ने खारिज फरमा दिया था। इसके बावजूद भी सायलान ने गैरसायलान को कतई गलत रूप से 151 के प्रार्थना पत्र पर टी आई से पाबन्द करवा रखा है। जिससे सायलान के अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है। विवादग्रस्त आराजीयात की खातेदारी व कब्जाकाश्त गैरसायलान के नाम दर्ज रिकॉर्ड है।

जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं. 2 में दर्ज किया है कि प्रार्थना पत्र का मद नम्बर 2 कतई गलत एवं असत्य होने के कारण अस्वीकार है। उक्त मद में दर्ज आराजीयात से सायलान का कोई संबंध किसी प्रकार का नहीं है ना ही उक्त आराजीयात सायलान की खातेदारी व कब्जा काश्त की ही है। कभी भी किसी फर्जी नामान्तरकरण के आधार पर गैरसायलान ने किसी भी व्यक्ति की मदद से उक्त आराजीयात पर कब्जा नहीं किया है, बल्कि उक्त मद में दर्ज समस्त आराजीयात गैरसायलान की खातेदारी व कब्जा काश्त में शुरू से चली आ रही है, शेष उज्रात मजीद में दर्ज है।

जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं. 3 में दर्ज किया है कि प्रार्थना पत्र के मद नम्बर 3 में दर्ज आराजीयात श्री रेलीराम जी के नाम में संयुक्त हिन्दू परिवार का कर्ता होने की हैसीयत से नाम खातेदारी अवश्य दर्ज थी, लेकिन आराजीयात विवादग्रस्त पिता सायलान श्री रेलीराम की स्वअर्जित नहीं थी, बल्कि सायलान के पिता/दादा रैलीराम, गैरसायल नं. 1 ता 10 के दादा फैलीराम व गैरसायल नं. 11 ता 16 के पिता/दादा पंखी की संयुक्त हिन्दू परिवार की संयुक्त आराजीयात थी, जिस पर वे संयुक्त रूप से वहैसीयत खातेदार चले आ रहे थे तथा संयुक्त रूप से ही काश्त करते थे।

जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं. 4 में दर्ज किया है कि प्रार्थना पत्र का मद नम्बर 4 कतई गलत एवं असत्य होने के कारण अस्वीकार है। सायलान का यह कथन कतई गलत है कि आराजीयात मुतज्रिकरा मद नम्बर 2 प्रार्थना पत्र पिता गैरसायलान द्वारा काल्पनिक एवं अनरजिस्टर्ड बेचान बता कर सरकारी कर्मचारियों से साज करके नामान्तकरण नं. 320 तथा 331 दिनोंक 05.07.1959 पोशीदा तरीके से तहरीर व तकमील व तस्दीक कराया हो और सायलान का यह कथन भी कतई गलत है कि पूर्व में आपसी संबंध अच्छे होने के कारण गैरसायलान के पिता/दादा आधे या चौथाई बाटे पर कुछ जमीनों पर सायलान हरिचरण, रामचरण, शिवचरण, शंकर की सहमति से काश्त भी कर लिया करते हो। दिनांक 13.05.1982 को कोई नीम का पेड नहीं गिरा। माननीय राजस्व मण्डल अजमेर में अपील का निर्णय दिनांक 24.05.1992 को नहीं किया गया है, ना ही गैरसायलान के पिता/दादा ने कोई गिरोह ही गठित किया है। वादीगण ने उक्त मद में समस्त तथ्य कतई गलत झूंठे तथा मनगढन्त अंकित किये है। बल्कि सही तथ्य यह है कि साबिक में समस्त

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

आराजीयात मय अन्य आराजीयात के सायलान के पिता/दादा व गैरसायल नम्बर । ता 10 के दादा फैलीराम तथा गैरसायल नं. 11 ता 16 के पिता/दादा पंखी की संयुक्त खातेदारी व कब्जा काश्त की थी। उन तीनों का संयुक्त हिन्दू परिवार था लेकिन सायलान के पिता/दादा रैलीराम सभी भाईयो में समझदार होने के कारण कर्ता खानदान थे, इसलिए समस्त आराजीयात की खातेदारी के खाने में उक्त रेली का अकेले का ही नाम था जबकि आराजीयात मुतदाविया तीनों भाईयों की संयुक्त खातेदारी व कब्जा काश्त की भूमि थी। रेली की मृत्यु के पश्चात सायलान की नीयत में बदयान्ती आ गई, तथा उन्होंने आराजीयात की खातेदारी के खाने में गैरसायलान के पिता/दादा चिरंजी, रामजीलाल व पंखी का नाम दर्ज करवाने को इन्कार कर दिया तो गैरसायलान के पिता/दादा चिरंजी, रामजीलाल व पंखी ने वरफाये हुज्जत सायलान को दिनांक 03.07.1958 को प्रत्येक ने 300–300 रूपये देकर अपने अपने हिस्से की आराजीयात जिस पर गैरसायलान के पिता/दादा चिरंजी, रामजीलाल तथा पंखी पहले से ही बहैसीयत खातेदार काश्तकार काबिज थे, के विषय में सायलान से विकय पत्र 1.50 रूपये के नोन जुडीशियल स्टाम्प पर तहरीर व तकमील करवा कर उस पर स्वयं के हस्ताक्षर व निशानियां करके गवाही गवाहान कराकर हवाले गैरसायलान कर दिया था तथा उक्त विकय पत्र के अनुसार सायलान ने गैरसायलान नं 11 ता 16 के पिता/दादा पंखी को आराजीयात खसरा नम्बर 670, 4901, 4903, 4934, 4908, 4915 4917, 4918, 4920, 4921 कुल भूमि 15 बीघा 8 विस्वा विक्रय कर दी थी जिसके समस्त अधिकार गैरसायलान को प्राप्त हो गये थे। कब्जा आराजीयात पर शुरू से ही गैरसायलान का चला आ रहा था। सायलान ने स्वयं ने उक्त समस्त भूमि का नामान्तरकरण अपनी उपस्थिति में मजमें आम में गैरसायलान के पिता/दादा के नाम दिनांक 05.07.1959 को तस्दीक करवा दिया था। सायलान के पिता/दादा रैलीराम व गैरसावलान के पिता/दादा फैलीराम व पंखी आपस में खास भाई थे। सायलान ने उक्त नामान्तरकरण की अपील उपजिला कलेक्टर हिण्डौन के न्यायालय में पेश की थी, जो दिनांक 27.12.1983 को खारिज फरमा दी गई तथा द्वितीय अपील संभागीय आयुक्त कोटा के यहाँ प्रस्तुत कर दी जो दिनांक 25.4.1988 को खारिज फरमा दी गई। सायलान का आराजीयात विवादग्रस्त पर कभी कब्जा ही नहीं रहा।

जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं. 5 में दर्ज किया है कि प्रार्थना पत्र का मद नं. 5 कतई गलत होने के कारण अस्वीकार है। विवादग्रस्त आराजीयात में सायलान के कोई कमरे, पाटोर पोश, पुख्ता निर्माण नहीं कर रखा है। समस्त वाका मनगढन्त दर्ज किया है। विवादग्रस्त आराजीयात पर सायलान का कभी कोई कब्जा काश्त नहीं रहा है।

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं. 6 में दर्ज किया है कि प्रार्थना पत्र का मद नं. 6 कतई गलत होने के कारण अस्वीकार है। दिनांक 05.06.2013 को कोई घटना घटित नहीं हुई। समस्त वाका मनगढन्त बनाकर पेश किया गया है।

जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं. 7 में दर्ज किया है कि प्रथम दृष्ट्या केस, सुविधा का संतुलन तथा अतुल्य क्षति का सिद्धांत सायलान के पक्ष में साबित ना होकर गैरसायलान के पक्ष में बखूबी साबित है। इसलिये गैरसायलान को टी. आई से पाबन्द नहीं किया जा सकता है।

उज्रात–मजीद :–

जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं. 8 में दर्ज किया है कि सायलान एवं गैरसायलान एक ही परिवार की सन्तान है, सायलान एवं 8 गैरसायलान का सजरा निम्न प्रकार है–

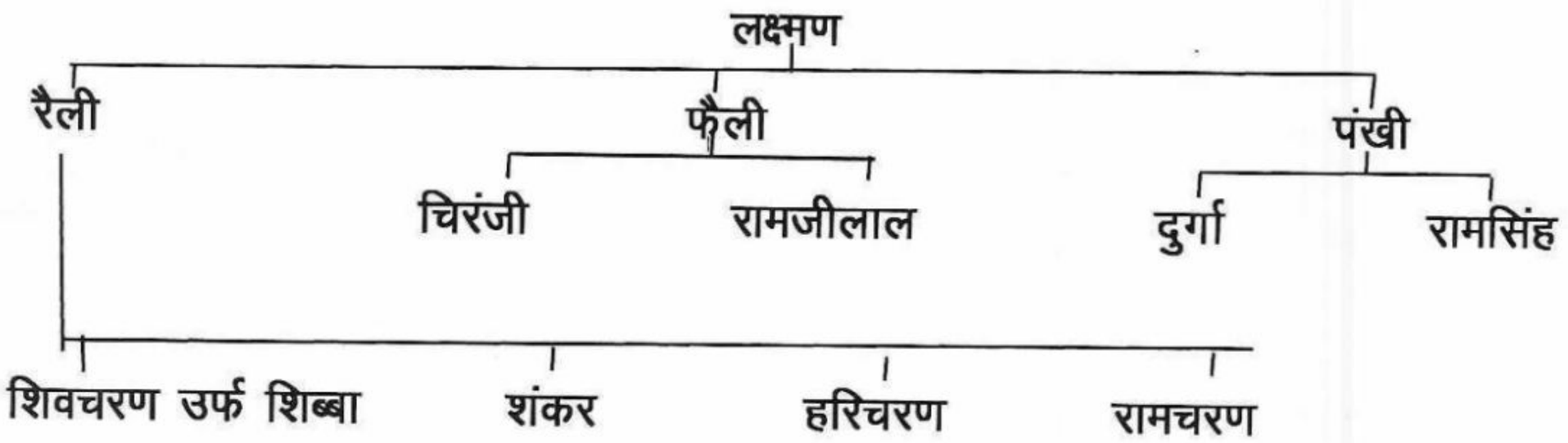

जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं. 9 में दर्ज किया है कि रैली, फेली व पंखी का संयुक्त हिन्दू परिवार था तथा रेली सभी भाईयो में समझदार होने के कारण उक्त संयुक्त हिन्दू परिवार का कर्ता खानदान था। इसलिए उनकी समस्त आराजीयात की खातेदारी रेली पुत्र लक्ष्मण के नाम दर्ज हुई जबकि रेली, फेली व पंखी तीनो भाई संयुक्त रूप से अपनी आराजीयात पर बहैसीयत खातेदार काश्तकार काबिज व दखील थे। उस समय संवत 2000 में रेली की खातेदारी में आराजीयात खसरा नम्बर 670, 671, 672 674, 675, 684, 4614, 4898, 4899, 4903, 4934, 4935 4900, 4901, 4908, 4912, 4913, 4914, 4915, 4917, 4918, 4919, 4920 एवं 4921 कुल रकवा 49 बीघा 16 विस्वा था, जिस पर वे तीनो भाई बहैसीयत खातेदार काश्तकार संयुक्त रूप से काबिज थे।

जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं. 10 में दर्ज किया है कि सायलान के पिता श्री रेली की मृत्यु के पश्चात सायलान के मन में बदयान्ति आ गई थी तथा उन्होंने उक्त समस्त आराजीयात की खातेदारी अपने नाम दर्ज करा ली. तो चिरंजी रामजीलाल तथा सायलान के चाचा पंखी ने इस पर आपत्ति की तो सायलान ने चिरंजी, रामजीलाल तथा पंखी से तीन सौ तीन सौ रूपये लेकर उनके हिस्से की आराजीयात जिन पर वह पहले से बहैसीयत

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

खातेदार काश्तकार काबिज थे, के विषय में दिनांक 03.07.1958 को वरफाये हुज्जत अलग अलग विक्रय–पत्र मुतजिक्रा मद नम्बर 4 जबाब प्रार्थना पत्र तहरीर व तकमील कर दिये थे, उक्त दस्तावेजो के अनुसार साथलान ने गैरसायलान को आराजीयात खसरा नम्बर 670, 4901, 4903 4934, 4908, 4915, 4917, 4918, 4920, 4921 कुल भूमि 15 बीघा 8 विस्वा विक्रय की, जिसका नामान्तकरण संख्या 320 दिनांक 05.07.1959 को मजमे आम में सायलान की उपस्थिति में तस्दीक किया गया। जिसके नवीन खसरा नम्बर 1065, 1070, 1074, 1075, 1079, 1080, 1087, 1097, 1098, 1099, 1105, 1106, 1114, 1115, 1116, 1065/1885 कायम किये है जो गैरसायलान नं. 11 ता 16 के पिता/दादा रामसिंह, दुर्गी के कब्जा काश्त तथा खातेदारी की भूमि है।

जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं. 11 में दर्ज किया है कि सायलान ने अपने वादपत्र (दावा) में यह दर्ज किया है कि प्रतिवादीगण के पिता फैलीराम/पंखी को वादीगण के पिता रैलीराम आराजीयात मुतदाविया काश्त कर बता देते थे तथा खसरा गिरदावरी में भी प्रतिवादीगण रामजीलाल, चिरंजी, पंखी का नाम दर्ज है। इस प्रकार संवत् 2012 में वकौल वादीगण यदि प्रतिवादीगण रामजीलाल, चिरंजी, पंखी को सब टीनेन्ट माना जावे तो भी वाई आपरेशन आफ लॉ प्रतिवादीगण को खातेदारी अधिकार प्राप्त हो चुके है।

जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं. 12 में दर्ज किया है कि आराजीयात मुतदाविया पर गैरसायलान संवत 2012 से पूर्व से ही लगातार शांतिपूर्वक बिना किसी रोक टोक के खुल्लम खुल्ला बतौर हक काश्त करते चले आ रहे है। इस प्रकार गैरसायलान का आराजीयात मुतदाविया पर एडवर्स पजैशन हो चुका है।

जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं. 13 में दर्ज किया है कि हाल तक हुए सैटिलमेण्ट में आराजी मुतदाविया के खातेदारी के पर्चे तैयार किये जाकर बांटे गये थे। आराजीयात मुतदाविया का सैटिलमेण्ट का पट्टा गैरसायलान के नाम जारी किया गया था, जिस पर भी वादीगण ने कोई आपत्ति किसी प्रकार की नहीं की।

जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं. 14 में दर्ज किया है कि वादीगण ने आराजी मुतदाविया पर अपने वादपत्र पर प्रतिवादीगण का कब्जा माना है, वादीगण का कोई कब्जा नहीं है। इसलिए कब्जे के अभाव में दावा/प्रार्थना पत्र चलने योग्य नहीं है।

जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं. 15 में दर्ज किया है कि गैरसायलान आराजीयात मुतदाविया के रिकार्डेड खातेदार है तथा किसी भूमि के रिकार्डेड खातेदार को कानूनन पाबन्द नहीं किया जा सकता है।

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं. 16 में दर्ज किया है कि वादीगण ने दावा म्याद बाहर प्रस्तुत किया है। बकौल यदि वादीगण नावालिग थे तो वालिग होने के 3 साल के अदर उन्हें दावा दायर कर देना चाहिऐ था। इसलिए उन्होंने दावा हाजा म्याद बाहर पेश किया है।

जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं. 17 में दर्ज किया है कि गैरसायल नं 1 ता 10 के पिता चिरंजी/रामजीलाल ने अपनी खातेदारी व कब्जाकाश्त की समस्त आराजीयात गैरसायल नं 17 ता 22 को जरिये 6 किता रजिस्टर्ड विकय पत्र दिनांक 23.07.1992 को विक्रय कर दी है। आराजीयात मुतदाविया से सायलान का पहले भी कभी कोई संम्बन्ध किसी प्रकार का नहीं रहा, ना ही आज है। इसलिये उन्हें अपूर्तनीय क्षति होने का प्रश्न ही नहीं उठता। अब गैरसायल ने 17 ता 22 ही आराजीयात मुतदाविया पर बतौर खातेदार काश्तकार काबिज है। जिस समय गैरसायलान नं. 17 सा 22 द्वारा विवादित भूमि प्रतिवादी रामजीलाल चिरंजी से जरिये रजिस्टर्ड वयनामा खरीद की उस समय वादीगण ने विवादित भूमि को रिसीवरी कराने का प्रार्थना पत्र दिनांक 02.11.1992 को पेश किया जो दिनांक 22. 09.1993 को खारिज हुआ।

अतः जबाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि सायलान द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंन्तर्गत धारा 151 जा.दी. मय खर्चा खारिज फरमाया जावें।

वकील सायलान ने दस्तावेजी सबूत में फोटो प्रति नकल जमाबन्दी 2067–70 किता 7 पेश किये हैं।

इसके विपरीत वकील गैरसायल ने कोई भी दस्तावेजी सबूत पेश नहीं किया है।

वकुलाय फरीकेन उपस्थित। वकुलाय फरीकेन की बहस सुनी गई। वकील सायलान ने दौराने बहस प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दौहराया है और सायलान का प्रार्थना पत्र स्वीकार करने का निवेदन किया है इसके विपरीत वकील गैरसायल ने दौराने बहस जबाव प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दौहराया है और सायलान का प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने का निवेदन किया है।

वकुलाय फरीकेन की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। फोटो प्रति नकल जमाबन्दी 2067–70 के अनुसार विवादित आराजी खसरा नम्बर 1065 रकबा 0.14 है0, 1065/9885 रकबा 0.16 है0, 1070 रकबा 0.53 है0, 1074 रकबा 0.29 है0, 1075 रकबा 0.28 है0, 1079 रकबा 0.18 है0, 1080 रकबा 0.17 है0, 1087 रकबा 0.33 है0, 1097 रकबा 0.17 है0, 1098 रकबा 0.16 है0, 1099 रकबा 0.11 है0, 1105 रकबा

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

0.15 है0, 1106 रकबा 0.34 है0, 1114 रकबा 0.33 है0, 1115 रकबा 0.40 है0, 1116 रकबा 0.14 है0 कुल किता 16 कुल रकबा 4.88 है0 वाके कस्बा हिण्डौन तहसील हिण्डौन की खातेदारी दुर्गा, रामसिंह पि0 पंखी जाति माली निवासी ग्राम खातेदार के नाम दर्ज रिकार्ड है।

फोटो प्रति नकल जमाबन्दी 2067–70 के अनुसार विवादित आराजी खसरा नम्बर 1071 रकबा 0.53 है0, 1086 रकबा 0.22 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 0.75 है0 वाके कस्बा हिण्डौन तहसील हिण्डौन की खातेदारी सुरेशसिंह पुत्र इन्द्रसिंह जाति जाट निवासी जाट की सराय हिण्डौन खातेदार के नाम दर्ज रिकार्ड है। इसी जमाबन्दी पर अंकित नोट सं0 54 नि.दिं. 21.12.2012 निर्णित अति0 संभागीय आयुक्त भरतपुर दिनांक 25.02.2012 के अनुसार निर्णय एस0डी0एम0 हिण्डौन दिनांक 05.07.2011 व नामान्तकरण सं0 422 दिनांक 25.09.1993 निरस्त किया गया तथा आगामी कार्यवाही हेतु स्थगन आदेश कमांक एलआर/2021/443 दिनांक 04.05.2012 की पालना में नोट अंकित किया गया दर्ज रिकार्ड है।

फोटो प्रति नकल जमाबन्दी 2067–70 के अनुसार विवादित आराजी खसरा नम्बर 1072 रकबा 0.25 है0, 1120 रकबा 0.27 है0, 1124 रकबा 0.30 है0 कुल किता 3 कुल रकबा 0.82 है0 वाके कस्बा हिण्डौन तहसील हिण्डौन की खातेदारी कुवरसिंह पुत्र इन्द्रसिंह जाति जाट निवासी ग्राम खातेदार के नाम दर्ज रिकार्ड है। इसी जमाबन्दी पर अंकित नोट सं0 11 नि.दिं. 21.12.2012 निर्णित अति0 संभागीय आयुक्त भरतपुर दिनांक 28.02.2012 के अनुसार निर्णय उपजिला कलक्टर हिण्डौन दिनांक 05.07.2011 व नामान्तकरण सं0 419 पर तहसीलदार का पारित आदेश दिनांक 25.09.1993 दोनो ही निरस्त कर दिये गये हैं तथा आगामी आदेश स्थगन रहन बाबत् नोट अंकित किया गया है निर्णय स्वरूप खसरा नम्बर 1024 लेकिन खाते में खसरा नम्बर 1124 है दर्ज रिकार्ड है।

फोटो प्रति नकल जमाबन्दी 2067–70 के अनुसार विवादित आराजी खसरा नम्बर 1073 रकबा 0.22 है0, 1077 रकबा 0.21 है0, 1104 रकबा 0.01 है0 कुल किता 3 कुल रकबा 0.44 है0 वाके कस्बा हिण्डौन तहसील हिण्डौन की खातेदारी गोपालसिंह रामचन्द जाति जाट निवासी जाट की सराय हिण्डौन खातेदार के नाम दर्ज रिकार्ड है। इसी जमाबन्दी पर अंकित नोट सं0 16 नि.दिं. 21.12.2012 निर्णित अति0 संभागीय आयुक्त भरतपुर दिनांक 28.02.2012 की अनुपालना में निर्णय दिनांक 05.07.2011 उपजिला कलक्टर हिण्डौन व नामान्तकरण सं0 420 पर तहसीलदार का निर्णय दिनांक 25.09.1993 दोनो ही निरस्त किये गये तथा आगामी आदेश स्थगन है आदेश से नोट अंकित किया गया है, दर्ज रिकार्ड है।

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

फोटो प्रति नकल जमाबन्दी 2067–70 के अनुसार विवादित आराजी खसरा नम्बर 1078 रकबा 0.22 है0, 1123 रकबा 0.30 है0, 1819 रकबा 0.01 है0, 1849 रकबा 0.26 है0, 1850 रकबा 0.12 है0 कुल किता 5 कुल रकबा 0.91 है0 वाके कस्बा हिण्डौन तहसील हिण्डौन की खातेदारी विजयसिंह पुत्र इन्द्रसिंह जाति जाट निवासी ग्राम खातेदार के नाम दर्ज रिकार्ड है।

फोटो प्रति नकल जमाबन्दी 2067–70 के अनुसार विवादित आराजी खसरा नम्बर 1100 रकबा 0.03 है0, 1103 रकबा 0.30 है0, 1125 रकबा 0.10 है0 कुल किता 3 कुल रकबा 0.43 है0 वाके कस्बा हिण्डौन तहसील हिण्डौन की खातेदारी करणसिंह पुत्र रामचन्द जाति जाट निवासी जाट की सराय हिण्डौन खातेदार राहिन एस.बी.बी.जे. शाखा हिण्डौन मुर्तहिन के नाम दर्ज रिकार्ड है। इसी जमाबन्दी पर अंकित नोट सं0 07 नि.दिं. 21.12.2012 न्यायालय अति0 संभागीय आयुक्त भरतपुर के निर्णय दिनांक 28.02.2012 के अनुसार निर्णय उपजिला कलक्टर हिण्डौन दिनांक 05.07.2011 व तहसीलदार हिण्डौन के नामान्तकरण सं0 421 पर निर्णय दिनांक 25.09.1993 दोनो ही निर्णित किये जाने पर आगामी आदेश तक कोई कार्यवाही नहीं करने तक नोट अंकित आदेश पत्रावली में है, दर्ज रिकार्ड है।

फोटो प्रति नकल जमाबन्दी 2067–70 के अनुसार विवादित आराजी खसरा नम्बर 1119 रकबा 0.42 है0 वाके कस्बा हिण्डौन तहसील हिण्डौन की खातेदारी खेमचन्द पुत्र विजयसिंह जाति जाट नावालिग विलायत विजयसिंह पुत्र इन्दरसिंह जाति जाट निवासी ग्राम खातेदार के नाम दर्ज रिकार्ड है। इसी जमाबन्दी पर अंकित नोट सं0 14 नि.दिं. 21.12.2012 निर्णय अति0 संभागीय आयुक्त भरतपुर दिनांक 28.02.2012 के अनुसार निर्णय उपजिला कलक्टर हिण्डौन दिनांक 05.07.2011 व तहसीलदार के द्वारा नामान्तकरण सं0 418 पर पारित आदेश दिनांक 25.09.1993 दोनो ही निरस्तत किये गये हैं तथा अग्रिम कार्यवाही पर स्थगन है, दर्ज रिकार्ड है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर यह स्पष्ट है कि विवादित आराजीयात के बाबत् पक्षकारान के अधिकार दावे में तय होने हैं तथा सायलान की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजी सबूतों के आधार पर खातेदारी गैरसायल सं017 लगायत 22 एवं दुर्गा रामसिंह पि0 पंखी माली के नाम दर्ज रिकार्ड है। यदि उक्त विवादित आराजीयात के रिकोर्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखने हेतु गैरसायलान को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से ताफैंसला दावा पाबन्द नहीं किया गया तो सायलान को अपूर्तनीय क्षति होने की पूर्ण सम्भावना प्रतीत होती है। इस प्रकार प्रथमदृष्टया केस सायलान के पक्ष में बखूबी साबित है तथा सुविधा का सन्तुलन एवं अपूर्तनीय क्षति का बिन्दू भी सायलान के पक्ष में बखूबी साबित है। पक्षकारान

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

के अधिकार दावे में तय होने हैं तथा सुरक्षित हैं। ऐसी स्थिति में यदि विवादित आराजीयात के रिकार्ड व मौके की यथास्थिति कायम नहीं रखी गई तो पक्षकारान के मध्य आपसी विवाद एवं मुकदमें बाजी बढने की पूर्ण सम्भावना प्रतीत होती है। ऐसे हालात में सायलान का प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा विरूद्ध गैरसायलान स्वीकार योग्य न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः सायलान का प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा विरूद्ध गैरसायलान स्वीकार किया जाकर गैरसायलान को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से ताफैंसला दावा पाबन्द किया जाता है कि गैरसायलान विवादित आराजी खसरा नम्बर 1065 रकबा 0.14 है0, 1065/9885 रकबा 0.16 है0, 1070 रकबा 0.53 है0, 1074 रकबा 0.29 है0, 1075 रकबा 0.28 है0, 1079 रकबा 0.18 है0, 1080 रकबा 0.17 है0, 1087 रकबा 0.33 है0, 1097 रकबा 0.17 है0, 1098 रकबा 0.16 है0, 1099 रकबा 0.11 है0, 1105 रकबा 0.15 है0, 1106 रकबा 0.34 है0, 1114 रकबा 0.33 है0, 1115 रकबा 0.40 है0, 1116 रकबा 0.14 है0, 1071 रकबा 0.53 है0, 1086 रकबा 0.22 है0, 1072 रकबा 0.25 है0, 1120 रकबा 0.27 है0, 1124 रकबा 0.30 है0, 1073 रकबा 0.22 है0, 1077 रकबा 0.21 है0, 1104 रकबा 0.01 है0, 1078 रकबा 0.22 है0, 1123 रकबा 0.30 है0, 1819 रकबा 0.01 है0, 1849 रकबा 0.26 है0, 1850 रकबा 0.12 है0, 1100 रकबा 0.03 है0, 1103 रकबा 0.30 है0, 1125 रकबा 0.10 है0, 1119 रकबा 0.42 है0 वाके कस्बा हिण्डौन तहसील हिण्डौन के रिकॉर्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखें तथा रहन व मुन्तकिल नहीं करें। पत्रावली फैंसल सुमार होकर बाद तकमील नम्बर से कम की जाकर मूल दावा के साथ शामिल मिसल रहे।

निर्णय आज दिनांक 26.09.2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

26/9/25

(हेमराज गुर्जर)
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन जिला करौली